आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.10.2019	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्विटेटर, धनबाद** **आर्विट्रेशन केश नं0–19/2019** राम कृष्ण प्रसाद चौधरी एवं अन्य –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचांची अंचल अन्तर्गत मौजा–तोपचांची, थाना नं0–49, खाता नं0–41 प्लॉट नं0–2346/2, रकवा–0.0103 एकड एवं 2346/4, रकवा–0.0163 एकड (कुल रकवा–0.0266 एकड) भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र एवं स्वंय उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि प्लॉट नं0–2346/2, रकवा–450 वर्गफीट पर पक्का दो मंजिला मकान बना हुआ है, उक्त प्लॉट का 0.0103 एकड जमीन भवन सहित एन0 एच0–02 के चौडीकरण में अधिग्रहण किया गया है, उक्त प्लॉट के उपरी तल्ले का उपयोग आवासीय स्तर पर होता है एवं नीचे तल्ले में एक दवा दुकान एवं एक जेरोक्स सह मोबाईल दुकान का संचालद होता है, उक्त मकान के टुट जाने पर दोनो दुकान की आर्थिक क्षति होगी। प्लॉट नं0–2346/4 में रकवा–2 3/4 डी0 जमीन में पक्का दो मंजिला मकान अवस्थित है इसके भी उपरी तल्ले का उपयोग आवासीय स्तर पर एवं नीचे तल्ले का उपयोग कम्पनी के कार्यालय के लिए किया जाता है, इस जमीन का 0.0163 एकड जमीन एन0 एच0–02 के चौडीकरण के लिए अधिग्रहण किया गया है, इस प्लॉट के 41X 29 जमीन पर दो तल्ला मकान अवस्थित है अधिग्रहित भूमि तक मकान को तोडने पर 26 X 29 मकान टूट जाएगा एवं पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आवेदक द्वारा प्लॉट नं0–2346/2 एवं 2346/4 में स्थित अधिग्रहित भूमि सहित दोनो मकानो का क्षतिपूर्ति मुआवजा एवं व्यवसाय का भी उचित मुआवजा भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जांच करते हुए भूमि एवं अवस्थित संरचानाओं का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। साथ ही भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप अनुपयोग अवशेष भूमि एवं अवस्थित संरचना का एन0एच0 एक्ट/विभागीय निदेश के आलोक में मूल्यांकन कर यदि देय हो तो नियमानुसार आवेदक को मुआवजा राशि भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। (हस्ताक्षर) अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद।	

Scanned with CamScanner